इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 551]　　　　भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 21, शक 1935

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

क्र. एफ 1-3-2013-बाईस-पं-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, पंचायत राज संचालनालय चतुर्थ श्रेणी सेवा में भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज संचालनालय चतुर्थ श्रेणी सेवा तथा सेवा की सामान्य शर्तें भरती नियम, 2013 हैं.

(2) ये ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इनके प्रकाशन किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है आयुक्त/संचालक, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश;

(ख) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश;

(ग) ''समिति'' से अभिप्रेत है विभागीय पदोन्नति समिति;

(घ) ''संचालक'' से अभिप्रेत है संचालक, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश;

(ङ) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है सेवा में भरती के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा;

(च) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(छ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(ज) ''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(झ) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ञ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ट) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है कोई जनजाति, या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ठ) ''सेवा'' से अभिप्रेत है पंचायत राज संचालनालय चतुर्थ श्रेणी सेवा;

(ड) ''राज्य'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व, सेवा में भर्ती किए गए हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उनसे संलग्न वेतनमान अनुसूची—एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे:

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:—

(क) सीधी भर्ती द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार द्वारा या चयन द्वारा;

(ख) अनुसूची—चार के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद, जो कि इस निमित्त सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं; मूल हैसियत में धारण करते हों.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची—दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को, जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के परामर्श से सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के पश्चात् उक्त उपनियम में, सेवा में भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जैसे कि वह इस निमित्त जारी आदेश द्वारा विहित करे.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**—किसी अभ्यर्थी को चयन के लिये पात्र होने हेतु निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी अर्थात् :—

(एक) आयु :—

(क) उसने चयन होने की तारीख की आगामी प्रथम जनवरी को अनुसूची तीन के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्य आयु पूरी कर ली हो किन्तु उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी ना की हो;

(ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :—

(एक) कोई अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) कोई अभ्यर्थी, जो कोई अस्थायी रूप से कोई पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारत कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) कोई अभ्यर्थी, जो छटंनी किया गया सरकारी सेवक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण:—शब्द "छंटनी किया गया सरकारी सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापन में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(घ) किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा है और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने, या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई हो या जो अतिशेष घोषित किया गया हो—

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसे समय पूर्व सेवानिवृत्ति (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो.

(2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिसे

(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर,

सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक.

(4) संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित है.

(5) ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर निरन्तर छह मास से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया है.

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं.

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(ङ) विधवा, निराश्रित व तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के उच्च जाति के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ज) "विक्रम पुरस्कार" धारी अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य/निगम/मण्डलों के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु अधिकतम 45 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि की उच्चतर आयु अधिकतम 3 वर्ष तक के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए.

टिप्पणी—(1) ऐसे अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत चयन हेतु पात्र पाए जाते हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो वे चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं तथापि, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी की गई हो तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे.

(2) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करते हुए किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, अधिकतम आयु सीमा की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03 नवम्बर, 2012 एवं 20 नवम्बर 2012 के अनुसार की जाएगी.

(3) विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में प्रवेश के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी.

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं:**—अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए जो अनुसूची—तीन में दर्शाई गई हैं, परन्तु आपवादिक मामलों में सरकार की सिफारिश पर नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो सरकार की राय में अभ्यर्थी का चयन के लिए विचार किए जाने को न्यायोचित ठहराती हो.

(3) **फीस:**—अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का संदाय करना होगा.

9. **निरर्हता.**—(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी साधन से किया गया कोई भी प्रयास नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनके परीक्षा/चयन में बैठने के संबंध में, निरर्हता के रूप में माना जावेगा.

(2) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी भी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा.

(3) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई भी ऐसा अभ्यर्थी, जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान हो, तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो जिसमें दो या दो से अधिक जीवित संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा.

(4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहां किसी न्यायालय में अभ्यर्थी के विरुद्ध ऐसा कोई मामला लंबित है, वहां उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक प्रकरण में अन्तिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**—परीक्षा के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

11. **लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों द्वारा सीधी भर्ती.**—(1) सीधी भर्ती लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों के द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी, जो कि नियुक्ति प्राधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करे.

(2) प्राप्त आवेदनों की सूक्ष्म जांच के पश्चात् प्रत्येक प्रवर्ग के पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची पद के लिए विहित अर्हता परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में बनाई जाएगी.

(3) लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुज्ञात या साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्तियों के दस गुने से अधिक नहीं होगी. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों पर विचार उसी क्रम में होगा, जिस क्रम में उनके नाम उपरोक्त उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार बनाई गई सूची में आए हों.

(4) यदि चयन समिति, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार, दोनों के द्वारा भर्ती करने का विनिश्चय करती है तो परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुज्ञात अभ्यर्थियों की संख्या वही होगी जो उपनियम (2) में है, किन्तु चयन समिति प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्तयों की संख्या के तीन गुने से अनधिक ऐसे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेगी, जो चयन समिति द्वारा अधिकथित स्तरमान के अनुसार लिखित परीक्षा में अर्ह हों.

(5) जब सीधी भर्ती लिखित परीक्षा साथ ही साक्षात्कार द्वारा की जाना है, तो साक्षात्कार के लिए आवंटित अंक अधिकतम अंकों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे.

(6) साक्षात्कार में अभ्यर्थी की उपयुक्तता का निर्धारण उसके व्यक्तित्व, सामान्य प्रवीणता, वृत्तिक ज्ञान, स्थानीय बोली में वार्तालाप कौशल, स्थानीय पर्यावरण का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य रुचि आदि को ध्यान में रखते हुए मौखिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा.

(7) लिखित परीक्षा, चयन समिति के निर्देशन तथा पर्यवेक्षण मैं आयुक्त/संचालक, पंचायत राज द्वारा समय-समय पर नियत तिथियों पर ली जाएगी.

12. **चयन सूची.**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ विचार करेगा और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा.

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों (समीक्षा) पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हों, जो उसकी राय में न्यायपूर्ण तथा उचित हों, अन्तिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में वर्णित पदों से, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में वर्णित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची, सामान्यत: एक वर्ष के लिए या तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि उसका पुनर्विलोकन नहीं कर लिया जाता, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसके तैयार किये जाने की तारीख से 18 माह की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जाएगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर किया जा सकेगा और विभागीय पदोन्नति समिति, यदि वह उचित समझे, तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी.

13. **प्रतीक्षा सूची.**—रिक्तियों की पूर्ति हेतु समिति द्वारा तैयार सूची के अतिरिक्त एक प्रतिक्षा सूची होगी जिसमें रिक्तियों के 25 प्रतिशत चयनित व्यक्तियों के नाम होंगे. यह प्रतीक्षा सूची एक वर्ष तक विधिमान्य होगी.

14. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**—(1) चयन सूची से सेवा के संवर्ग पदों पर सेवा में नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित रोस्टर के अनुसार की जाएगी तथा चयन सूची में अन्य कर्मचारियों की तुलना में उनकी सापेक्षिक रैंक पर विचार किए बिना वह पंचायत राज संचालनालय द्वारा संधारित की जाएगी.

(2) चयन सूची में सम्मिलित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम से की जाएगी जिस क्रम से ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आए हों.

(3) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व उक्त समिति से परामर्श करना सामान्यत: तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने और प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ गई हो, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी हो जो पंचायत राज संचालनालय सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त ठहराती हो.

15. **परिवीक्षा और नियमितीकरण.**—(1) सेवा में सीधी भर्ती किए गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

(2) किसी भी व्यक्ति को पंचायत राज संचालनालय सेवा में किसी ऐसे पद पर तब तक नियमित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसने परिवीक्षा की कालावधि संतोषजनक रूप से पूर्ण न कर ली हो अथवा विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण न कर ली हो अथवा ऐसा पद धारण करने के लिए सरकार या पंचायत राज संचालनालय द्वारा यथा अधिकथित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, प्राप्त न कर लिया हो.

16. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

17. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में जिसे यह नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्रवाई करने की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

18. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

19. **निरसन.**—इन नियमों के तत्स्थानी और उनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई है.

अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु-क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान+ग्रेड वेतन	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भृत्य	12	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300	
2	चौकीदार	02	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300	

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

अनु-क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा [नियम 6(1)(ग) देखिए]	अभ्युक्तियां
			सीधी भरती द्वारा [नियम 6(1)(क) देखिए]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1)(ख) देखिए]		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	भृत्य	12	100 प्रतिशत	–	–	–
2	चौकीदार	02	100 प्रतिशत	–	–	–

अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हताएं

अनु-क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भृत्य	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण (अनिवार्य).	1. अपर संचालक—अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक—(प्रशासन) —सदस्य-सचिव. 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक प्रथम श्रेणी अधिकारी, आयुक्त द्वारा नामांकित—सदस्य.
2	चौकीदार	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण (अनिवार्य).	1. अपर संचालक—अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक—(प्रशासन) —सदस्य-सचिव. 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक प्रथम श्रेणी अधिकारी, आयुक्त द्वारा नामांकित—सदस्य.

Bhopal, the 12th December 2013

No. F-1-3-2013-XXII-P1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment to the Panchayat Raj Sanchalnalaya Class-IV Service, namely:—

RULES

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Panchayat Raj Sanchalnalaya Class-IV Service and General Conditions of Service Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules unless the context otherwise requires:—

(a) "Appointing Authority" means the Commissioner/Director Panchayat Raj Sanchalnalaya, Madhya Pradesh;

(b) "Commissioner" means the Commissioner Panchayat Raj Sanchalnalaya, Madhya Pradesh;

(c) "Committee" means Departmental Promotion Committee;

(d) "Director" means the Director Panchayat Raj Sanchalnalaya, Madhya Pradesh;

(e) "Examination" means Competitive examination to be conducted for recruitment to the Service;

(f) "Governor" means Governor of Madhya Pradesh;

(g) "Government" means Government of Madhya Pradesh;

(h) "Other Backward Classes" means Other Backward classes of citizen as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5/XXV-4-84 dated the 26th December 1984 as amended from time to time;

(i) "Schedule" means Schedule appended to these rules;

(j) "Scheduled Caste" means any caste, race, or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as such in relation to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(k) "Scheduled Tribe" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such in relation to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

(l) "Service" means Panchayat Raj Sanchalnalaya Class-IV Service;

(m) "State" means the State of Madhya Pradesh:

3. **Scope and application.—**Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of Service**.—The Service shall consist of the following persons, namely :—

(1) Persons who at the time of commencement of these rules are holding any post substantively or officiating capacity specified in Schedule-I;

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.**—The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I :

Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.**— (1) Recruitment to service after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :—

(a) By direct recruitment by competitive examination and interview; or by selection ;

(b) By promotion of the member of Service, as specified in column (2) of Schedule-IV;

(c) By transfer of persons who helds in a substantive capacity such posts in such services as may be specified in this behalf by the Government;

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time, exceed the percentage as specified in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Professional Examination Board;

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Appointing Authority the exigencies of the service so require, he may after approval of the Government in the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf prescribe.

7. **Appointment to Service.**— All appointments to the service after commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule-6.

8. **Conditions of Eligibility for Direct Recruitment.**—In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:—

(1) **Age.**— (a) He must have attained the age specified in column (3) of Schedule-III and not attained the age specified in column (4) of the said schedule on the first day of January next following the date of commencement of the selection;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe and Other Backward classes.

(c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below :—

(i) A candidate who is a permanent Government Servant should not be more than 45 years of age;

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 45years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charge employees and employees working in the project Implementing Committees;

(iii) A candidate, who is a retrenched government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than Three years.

Explanation—The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this state or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(d) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.— The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service:—

(1) Ex-Serviceman released under mustering out concessions;

(2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on.—

(a) Completion of short term engagement,

(b) Fulfilling the conditions of enrolment;

(3) Ex personal of madras Civil Units;

(4) Officer (Military and Civil) Discharged on completion of their contract including Short Service Regular Commissioned Officers;

(5) Officers/ Employees discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(6) Ex-serviceman invalidated out of service;

(7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(8) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun shot, wounds etc.

(e) The general upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of window destitute and divorced woman candidates ;

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 2 years in respect of Green-Card holder candidates under the Family Welfare Programme;

(g) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste marriage incentive programme of the Tribal, Scheduled Castes and Backward Classes Welfare Department.

(h) The upper age limit shall be relaxed upto five years in respect of the "Vikram Award" holder candidates ;

(i) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 45 years of age in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State /Corporations/Boards;

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 3 years but in no case their age should exceed 45 years.

Note.— (1) Candidates, who are found eligible for selection, under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (c) above will not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They will however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

(2) The total relaxed period for every category shall be such which shall not exceed the upper age limit of 45 years. The maximum limit of age shall be calculated in accordance with the General Adminsistrative Department circular No. C-3-11/12/1/3 dated 03rd November 2012 and 20th November 2012.

(3) Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the selection.

(2) **Educational qualifications.**—The Candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III pròvided that in exceptional cases the Appointing Authority may, on the recommendation of the Government treat as qualified any candidate who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause but has passed examination conducted by other institutions by such a standard which in the opinion of the Government Justifies the consideration of the candidate for selection.

(3) Fees.—The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification,**—(1) Any attempt on the part of candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority. to disqualify him for appearing in the examination/selection.

(2) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post, who has married before the minimum age fixed for marriage.

(3) A candidate shall not be eligible for any service or post if he has more than two living children one of whom is born on or after 26th January 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th January 2001 in which two or more than two living children are born.

(4) No candidate shall be eligible for the appointment to any service or post who has been convicted for an offence against the women:

Provided that where such case is pending in a court against the candidate, his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the criminal case.

10. **Appointing Authority's Decision About the Eligibility of the Candidates hall be Final**—The decision of the Appointing Authority as to the eligibility of a candidate for examination shall be final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall not be allowed to appear in the examination.

11. **Direct Recruitment by written test or by interview or by both.**— (1) Direct recruitment shall be made by holding written test or by interview or by both at such intervals, as the Appointing Authority may determine from time to time in consultation with General Administration Department.

(2) After scrutiny of the applications received, a list of eligible candidates for each category shall be prepared in descending order of the marks obtained in the qualifying examination prescribed for the post.

(3) The number of candidates allowed to appear in written test or called for interview, shall not exceed ten times of the vacancies in each category. The candidates shall be considered for written test or interview in order in which their names appear in the list prepared in accordance with the provisions of above sub-rule (1).

(4) If the Selection Committee decides to make recruitment through written examination and interview both the number of candidates allowed to appear in the test shall be the same as in sub-rule (2) but the Selection Committee shall interview such candidates, not exceeding three times of the number of vacancies in each category as may qualify in the written examination according to the standard laid down by the Selection Committee.

(5) When direct recruitment is to be made, by holding written test alongwith interview, the marks allotted for interview shall not exceed ten percent of the maximum marks.

(6) In interview, the suitability of the candidate shall be assessed by oral test having regard to their personality, general proficiency, professional knowledge, communication skills in local dialect, knowledge of local environment, general knowledge, general aptitude etc.

(7) The written test shall be held by the Commissioner/Director Panchayat Raj from time to time on fixed date under the direction and supervision of the Selection Committee.

12. **Select List.**— (1) The Appointing Authority shall consider list prepared by the Committee alongwith other documents received from the committee and unless it consider any change necessary, approved the list.

(2) If the Appointing Authority considers it necessary to make any change in the list received from the Committee, he shall inform the committee of the changes proposed and after taking into account the comments, if any, of the committee and approve the list finally with such modification if any, as may in the opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the Appointing Authority will be the List for promotion of the members for service from the posts mentioned in Column (2) of Schedule IV to the posts mentioned in Column (3) of the said Schedule.

(4) The select list shall ordinarily be inforce for one year or until it is reviewed but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the Departmental Promotion Committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

13. **Waiting List**—There shall be a waiting list, in addition to a selection list of persons prepared by the commitee for fulfilling the vacancy containing the names of 25% of the selected persons of the vacancy. This waiting list shall be valid for one year.

14. **Appointment to the service from the select list.**— (1) Appointment to the service from the select list to posts borne on the cadre of the service shall be made in accordance with the roster prescribed by the State Government Aarakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and maintained by the Panchayat Raj Sanchalnalaya irrespective of their relative rank as compared with other employee in the select list.

(2) Appointment of the Class-IV employees included in the select list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such employees appear in the select list.

(3) It shall not ordinarily be necessary to consult the said committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment, there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the Panchayat Raj Sanchalnalaya Service.

15. **Probation and Regularization.**—(1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

(2) The person appointed on any post of the Panchayat Raj Sanchalnalaya Service shall not be regularised until the probation period is not completed satisfactory by him or he has not passed the Departmental Examination, if any, or he has not undergone training for the post, if any, as laid down by the Government or Panchayat Raj Sanchalnalaya for holding such post.

16. **Interpretation.**— If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

17. **Relaxation.**—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom, these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

18. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

19. **Repeal.**— All rules corresponding to these rules and inforce immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE – I

(See Rule-5)

Classification of Service, Scale of Pay and posts included in the Service

S. No.	Name of Posts included in the Service	Number of Posts	Classification	Pay Scale + Grade Pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peon	12	Class-IV	4440—7440+1300	
2.	Choukidar	02	Class-IV	4440—7440+1300	

SCHEDULE – II

(See Rule - 6)

Method of Recruitment

S.No	Name of the Post included in the Service	Total number of Posts	Percentage of the Number of Posts to be filled in			Remarks
			By direct recruitment [see rule 6(1) (a)]	By Promotion of the members of Service [see rule 6 (1) (b)]	By temporary transfer of persons of other services [see rule 6 (1) (c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Peon	12	100%	-	-	-
2.	Choukidar	02	100%	-	-	-

SCHEDULE - III

(See Rule-8)

Age and Qualifications of Persons Recruited Directly

S.No. (1)	Name of post (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Prescribed educational Qualifications (5)	Remarks (6)
1.	Peon	18	40	Passed VIIIth Class Compulsory.	1. Additional Director—Chairman 2. Joint Director (Administration) —Member Secretary. 3. One Class-I Officer from Scheduled Castes/Scheduled Tribes category to be nominated by the Commissioner—Member
2.	Choukidar	18	40	Passed VIIIth Class Compulsory.	1. Additional Director—Chairman 2. Joint Director (Administration) —Member Secretary. 3. One Class-I Officer from Scheduled Castes/Scheduled Tribes category to be nominated by the Commissioner—Member

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.